रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-92/2020/2882/22-2-2019-17(414)/2009

लखनऊ: दिनांक: 10 फरवरी, 2020

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला **कारागार, गोरखपुर**, में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी **रमाकान्त (बन्दी संख्या-231/06)** पुत्र श्री **राजदेव**, जो पचौहा, थाना-सिकरीगंज, (वर्तमान उरूवा बाजार) जनपद-**गोरखपुर** का रहने वाला है**,** जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-**167/1980** में भा0द0वि0 की धारा-**302/34**, के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-02 गोरखपुर के आदेश दिनांक 08.07.1982 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया तथा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.09.1999 द्वारा दोषमुक्त किया गया जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 26.04.2006 द्वारा मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया तथा बन्दी की उम्र 74 वर्ष, संतोषजनक जेल आचरण, 12 वर्ष 02 माह 21 दिन अपरिहार सजा एवं 15 वर्ष 05 माह 15 दिन की सपरिहार भोगी गयी सजा**,** जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा की गयी समयपूर्व रिहाई की संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते है कि उक्त बंदी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, **गोरखपुर** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से **मुक्त** कर दिया जाय।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-92/2020/2882(1)/22-2-2019 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर ।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, गोरखपुर ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0 प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in